कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

क्रमांक / भू.अ. / प्र.क्र. 06 / अ–82 / 18–19 / एम.पी.ई.बी. / मु.वि. / देवपुर माफी

दिनांक 07/11/19

प्रति,

अनुविभागीय एवं भू–अर्जन अधिकारी
(नोडल अधिकारी भू–अर्जन पी0डी0 खाता)
अनुविभाग–मुरैना

विषय– 220 के. बी. उपकेन्द्र सबलगढ के के विस्तार हेतु निजी भूमि स्वामित्व की भूमि के अधिग्रहण (अवार्ड पारित) प्रकरण में मुआवजा वितरण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड हेतु 220 के. बी. उपकेन्द्र सबलगढ के के विस्तार हेतु निजी भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम देवपुर माफी तहसील सबलगढ में भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के अंतर्गत दिनांक 07.11.2019 को अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित किया गया है। पारित अधिनिर्णय, गणना पत्रक पार्ट अ एवं ब की छायाप्रति आपकी ओर भेजकर लेख है कि गणना पत्रक अनुसार प्रभावित व्यक्ति के बैंक खाते, आई एफ सी कोड नम्बर, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ एवं तहसीलदार सबलगढ से प्राप्त कर भू–अर्जन अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियत अवधि में मुआवजा वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

U K Pandey

प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन
जिला मुरैना (म0प्र0)

प्रतिलिपि– / 13347 / 08-11-19

1– अनुविभागीय एवं भू–अर्जन अधिकारी सबलगढ की ओर पारित अवार्ड अनुसार प्रभावित व्यक्ति के बैंक खातों आदि की जानकारी हेतु तहसीलदार सबलगढ को निर्देशित करने हेतु।

2– तहसीलदार सबलगढ की ओर पारित अवार्ड अनुसार प्रभावित व्यक्तियों की बैंक खातों आदि की जानकारी अनुविभागीय सबलगढ के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं (नोडल अधिकारी भू–अर्जन पी0डी खाता) अनुविभाग–मुरैना को तत्काल उपलब्ध करावे। साथ ही अधिग्रहित भूमि का कब्जा सम्बंधित विभाग को सौंपें एवं राजस्व अभिलेख में अमल करावे।

3– कार्यपालन यंत्री म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड ग्वालियर की ओर अधिग्रहित भूमि के कब्जा प्राप्त करने एवं राजस्व अभिलेख अमल की प्रति तहसीलदार सबलगढ से प्राप्त करने हेतु सूचनार्थ

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन आई सी मुरैना की ओर पारित अधिनिर्णय की छायाप्रति भेजकर लेख है कि कलेक्टर जिला मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक बेबसाईट पर अपलोड हेतु।

U K Pandey

प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन
जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना मध्य प्रदेश

प्र0क्र0 / 06 / 18–19 / अ 82

कार्यपालन यंत्री
अउदा–निर्माण संभाग द्वितीय
म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर
................आवेदक

बनाम

श्रीमती उमा देवी पत्नि ब्रहमानंद
जति ब्राहम्ण निवासी देवपुरमाफी
सबलगढ़ जिला मुरैना
................अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक 07.11.2019)

आवेदक कार्यपालन यंत्री अउदा–निर्माण संभाग द्वितीय म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर द्वारा (श्योपुर जिला एवं इसके आस–पास के क्षेत्र में सतत् एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय करना के लिये) अधोलिखित अशासकीय भूमि के आपातिक स्थाई अर्जन बावत प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया।

क्र.	सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला रकवा	ग्राम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी
1	20 मिन 3	0.0837 हैक्टेयर (837 वर्ग मीटर)	देवपुरमाफी	सबलगढ़	मुरैना	श्रीमती उमा देवी पत्नि ब्रहमानंद

कार्यपालन यंत्री अउदा–निर्माण संभाग द्वितीय म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे भू अर्जन अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 40 के तहत अत्यावश्यकता की दशा को उद्घोषित करते हुये धारा 11 के तहत प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 02.01.2019 को जारी की गयी। जारी की गयी प्रारंभिक अधिसूचना को कार्यालय तहसील सबलगढ़ के सूचना पटल पर दिनांक 02.01.2019 को, अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के सूचना पटल पर दिनांक 02.01.2019 को, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर दिनांक 02.01.2019 को, भू–अर्जन अधिकारी मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 02.01.2019 को एवं कार्यपालन यंत्री अउदा–निर्माण संभाग द्वितीय म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक

क्रमशः.........

0?.01.2019 को चस्पा किया गया। प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 1?.01.2019 के पृष्ठ क्रमांक 194 पर हुआ तथा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 14.01.2019 एवं ?पुर एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 14.01.2019 को प्रकाशित किया गया। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई।

3. प्रकरण में धारा–11 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत धारा–12 से धारा–18 तक अनुपालन किये जाने पर धारा 15(1) के अन्तर्गत अनावेदिका द्वारा आपत्ति पेश की गयी। जिसका निराकरण आपत्तिकर्ता को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान कर दिनांक 01.03.2019 को किया गया। आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त कर प्रकरण में धारा 19 की तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र दिनांक 08.03.2019 से जारी हुयी जो म.प्र. राजपत्र में दिनांक 15.03.2019 को राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1865 से 1866 पर प्रकाशित हुयी। उक्त अधिसूचना तहसील सबलगढ़ के सूचना पटल पर दिनांक 11.03.2019 को अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के सूचना पटल पर दिनांक 11.03.2019 को ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर दिनांक 11.03.2019 को कलेक्टर मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 08.03.2019 एवं कार्यपालन यंत्री अउदा–निर्माण संभाग द्वितीय म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 12.03.2019 को चस्पा की गई। जारी अधिसूचना को समाचार पत्र मध्य राज समाचार पत्र में दिनांक 29.05.2019 एवं मध्य जनदर्शन में दिनांक 31.05.2019 को प्रकाशित किया गया।

5. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 (1) के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 29.06.2019 को जारी किया गया कलेक्टर मुरैना के पोर्टल पर दिनांक ......06.2019 को अपलोड किया गया जिसमें दिनांक 30.07.2019 तक हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां प्रस्तुत करने को समय दिया गया। तहसील सबलगढ़ के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 02.07.2019 को, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के सूचना पटल पर दिनांक 02.07.2019 को, कलेक्टर मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 02.07.2019 को तथा कार्यपालन यंत्री अउदा–निर्माण संभाग द्वितीय म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 03.07.2019 को चस्पा कर प्रकाशित की गई।

6. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 (2) के तहत भूमि स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 29.06.2019 से जारी किये गये हितबद्ध पक्षकारो से दिनांक 30.07.2019 तक दावे आपत्ति करने के लिये आहूत किया गया, नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

7. अधिनियम की धारा 26 के तहत बाजार का निर्धारण किये जाने के लिये धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 02.01.2019 के पूर्ववर्ती 3 वर्ष के वास्तविक विक्रय पत्र एवं चालू गाइडलाइन की जानाकरी ली गई गाइड लाईन वर्ष 2019–20 की दर अधिक होने से सिंचित भूमि मुख्य रोड से हटकर 1500000.00 रूपये, पन्द्रह लाख रूपये प्रति हैक्टयेर निर्धारित की गयी।

8. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम देवपुर माफी सबलगढ़ की भूमि अर्जित किया जाकर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:–

क्रमशः......

9. अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन

अ. सिंचित भूमि रोड से हटकर 837 वर्ग मीटर (0.0837 हैक्ट. की प्रति हैक्टेयर रू. 1500000.00 की दर से) की मूल्यांकित राशि — 125,550.00

भूमि की कुल राशि — 125550.00

10. परिसम्पत्ति :–

अ– ईंट की दीवार पर टीन शेड — निरंक/–

ब. कुआ/बोर/ट्यूबवेल — निरंक/–

स. निर्माण भूमि बाउन्ड्री — निरंक/–

द. वृक्ष आदि (वृक्ष नीम – 01) — 2381/–

परिसम्पत्तियों की कुल राशि — 2381.00

भूमि एव परिसम्पत्तियों की कुल राशि (9+10) — 127931.00

शासन के परिपत्र के दिनांक 28.07.2017 अनुसार गुणांक 01

11. भू–अर्जन अधिनियम की धारा 30 (3) के तहत संगणित राशि (धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 02.01.2019 से अवार्ड दिनांक 07.11.2019 तक 310 दिवस के लिये राशि रू. 125,550.00 पर 12% ब्याज) — 12796.00

12. भू–अर्जन अधिनियम की धारा 2013 की धारा 30 (1) के तहत तोषण राशि — 127931.00

कुल राशि (127931+12796+127931) — 268658.00

प्रशासनिक शुल्क 2.5% — 6716.00

योग — रू. 275374.00

(राशि दो लाख पिचत्तहर हजार तीन सौ चौहत्तर रूपये मात्र)

नोट– व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि पृथक से परिशिष्ट **A** एवं **B** संलग्न है जो अधिनियम का हिस्सा होगा।

भू अर्जन अधिकारी
सबलगढ़

कलेक्टर
जिला मुरैना

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला मुरैना

परिशिष्ट (अ) – परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पत्रक

भू-अर्जन जानकारी ग्राम देवपुर माफी पटवारी हल्का नम्बर 08 राजस्व वृत्त 4 सबलगढ़ तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र.

अनुक्रमांक	भूमिस्वामी का नाम व पता	सर्वे क्रमांक	कुल अर्जित रकबा हैक्टेयर में	भूमि का अर्जित रकबा हैक्टेयर में			भूमि का बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत 2017-18 प्रति हैक्टर धारा 26 के अनुसार		अर्जित भूमि का बाजार मूल्यांकन 26 के अनुसार	धारा 26 (2) के अनुसार	गुणांक पश्चात बाजार मूल्य (क्र. 9 x क्र. 10)	दूसरी अनुसूची (धारा 31 व 38 अनुसार)	भूमि से संलग्न सभी आस्तियों का मूल्य धारा 29 (1 व 2) अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट ब अनुसार		प्रतिकर (धारा 27 अनुसार) योग (11+12+14)	तोषण धारा 30 (1) अनुसार प्रतिकर की रकम की शतप्रतिशत कालम 15 अनुसार	संगणित रकम (दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष) धारा 30 (3) के अंतर्गत 310 दिवस दिनांक 02.01.2018 से अंतिम अधिनिर्णय दिनांक 07.11.2018 तक (प्रतिमाह 11 माह)	अंतिम अधिनिर्णय कुल प्रति कीमत (15+16+17)	विशेष विवरण (यदि कोई हो तो)
				सिंचित	असिंचित	भूमि भिन्न	सिंचित	असिंचित					प्रकार	मूल्यांकन					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	श्रीमती उषा देवी पत्नि [illegible] जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देवपुर माफी सबलगढ़	20 मिन-1	0.0837 (हेक्टर वर्ग मीटर)	0.0837 (हेक्टर वर्ग मीटर)	–	–	1500000	3000000	125550.00	1	125550.00	0	नीम का पेड़	2261.89	127811.89	127811.00	12796.08	268658.00	
	योग		0.0837 (हेक्टर वर्ग मीटर)	0.0837 (हेक्टर वर्ग मीटर)	0	0			125550.00		125550.00	0		2261.89	127811.89	127811.00	12796.08	268658	0

कुल योग	268658.00
प्रशासनिक शुल्क 2.5%	6716.00
कुल अवार्ड राशि	275374.00

अक्षरी में (दो लाख पिच्यत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र)

नोट - उक्त प्रक्र. 220 K.V. विद्युत उपकेन्द्र देवपुरमाफी सबलगढ़ हेतु अर्जित भूमि के अधिनिर्णय का प्रारूप पत्रक है।

भू-अर्जन अधिकारी
सबलगढ़

कलेक्टर
जिला मुरैना

कार्यालय कलैक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना

परिशिष्ट (ब) – परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पत्रक

भू–अर्जन जानकारी ग्राम देवपुर माफी पटवारी हल्का नम्बर 09 राजस्व वृत्त 4 सबलगढ़ तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र.

अनुक्रमांक	भूमिस्वामी का नाम व पता	सर्वे क्रमांक	भूमि का अर्जित रकबा हैक्टेयर में	वृक्ष/फलदार पेड़ो का		पक्का कुआँ/बोरवेल का		पक्का निर्माण/मकान का		कुल मूल्यांकन राशि कॉलम 6+8+10	विवरण
				वृक्ष/फलदार पेड़ के नाम	मूल्यांकन	पक्का कुआँ/बोरवेल	मूल्यांकन	पक्का निर्माण/मकान	मूल्यांकन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्रीमती उमा देवी पत्नि ब्रह्मानंद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देवपुर माफी सबलगढ़	20 मिन–3	0.0837 (837 वर्ग मीटर)	नीम–1	2381.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2381.00	निरंक
	योग		0.0837 (837 वर्ग मीटर)	1	2381.00	0	0	0	0	2381.00	0

नोट - उक्त प्रस्तावित 220 K.B विद्युत उपकेन्द्र देवपुर माफी सबलगढ़ हेतु अर्जित भूमि के अधिनिर्णय का भाग पत्रक ब है।

भू अर्जन अधिकारी
सबलगढ़

कलेक्टर
जिला मुरैना